2010/00091

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 24 / 2010

पोहपसिह पुत्रश्री स्व0 कुंवरसिह जाति लोधा निवासी लुधपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....वादी

बनाम

1–फतेहसिह 2–रामनिवास पुत्रगण अंगद जातिगण लोधा निवासीगण लुधपुरा तहसील सैपऊ
3–पंजाब नेशनल बैंक शाखा बसईनबाब जरिये शाखा प्रवन्धक
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ लैण्ड होल्डर
.....प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक व इन्द्राज
दुरूस्ती दफा धारा 88 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *विष्णुकुमार एडवोकेट* ..... (वादी)
2–श्री हरिवीरसिह एडवोकेट.....(प्रतिवादीगण)

दिनांक 13.06.2019

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 246 / 1 जिसका एलआरसी नम्बर 2470 / 246 रकवा 1 वीघा 1 विश्वा जिसका वास्तविक रकवा 1 वीघा 6 विश्वा तथा मौके पर भी रकवा 1 वीघा 6 विश्वा है तथा खसरा नम्बर 246 / 2 जिसका एलआरसी 2471 / 246 रकवा 1 विश्वा किस्म गैर मुमकिन कुआं जो विवादित है एंव अन्य आराजीयात स्थित वाके ग्राम लुधपुरा तहसील सैपऊ का तन्हा खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काविज होकर काश्त कर रहा है। तथा सम्पूर्ण आराजी के रकवे की काश्त करके फसल की पैदावार ले रहा है तथा सरकार में लगान अदा कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी की खातेदारी के उक्त खसरा नम्बर के वास्तविक रकवा 1 वीघा 6 विश्वा से कोई सम्बध व सरोकार नही है। फिर भी वे वादी के साथ आये दिन झगडा करते है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की आराजी ख.न. 245 की सीमा वादी की उक्त आराजी से लगी हुई है। और प्रतिवादीगण के उक्त ख.न. 245 का वास्तविक रकवा 1वीघा 11 विश्वा है जो सही है परन्तु उकत ख.न. 245 का रकवा पटवार कागजात में महकमा बन्दौवस्त ने गलत रूप से 1वीघा 11 विश्वा के स्थान पर 1 वीघा 16 विश्वा अंकित कर दिया है जो गलत है ख.न. 245 रकवा 1वीघा 11 विश्वा को कोई विवाद नही है, परन्तु इस ख.न. के शेष रकवे 5 विश्वा का विवाद है जो वास्तव में वादी की खातेदारी का व कब्जे काश्त का रकवा है, परन्तु महकमा वन्दौस्त के गलत दन्द्राजात के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त 5 विश्वा के बाबत् झगडा करते रहते है। जबकि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है और नाही कभी काबिज रहे । विवादित आराजी पूर्व में राजस्व ग्राम मालोनी पंवार के मौजे में थी परन्तु वाद में नया राजस्व ग्राम लुधपुरा बनने से

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

क्त आराजी ग्राम मालोनी पंवार से अलग होकर नये राजस्व ग्राम लुधपुरा के मौजे में आ गई है। वादी के पिता सव0 कुंवरसिह अपने पिता स्व0 रामस्वरूप पुत्र भोला की इकलोती संतान थी। वादी की विवादित आराजी हाल ख.न. के साविक ख.न. 231, 232/2 कुल रकवा 1 वीघा 11 विश्वा वाके ग्राम मालोनी पंवार तहसील सैपऊ थे और उक्त साविक आराजी के खातेदार कातकार विरमे बल्द टीडा व रामस्वरूप पुत्र भोला जाति लोधा निवासी लुधपुरा मजरा मालोनी पंवार थे। विरमे तथा रामस्वरूप पुत्र भोला की संयुक्त खातेदारी मे उक्त साविक नम्बर के अलावा साविक ख.न. 190 रकवा 1 वीघा 3 विश्वा वाके ग्राम मालोनी पंवार था। रामस्वरूप व विरमे के बीच वाहमी बटवारे से विवादित आराजी ख.न. 231, 232/2 कुल रकवा 1 वीघा 11 विश्वा के तन्हा खातेदार काश्तकार वादी के बाबा रामस्वरूप पुत्र भोला हुये। और उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकवा 1 वीघा 11 विश्वा को वहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज होकर काश्त करते रहे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की विवादित आराजी हाल ख.न. 245 का सविक नम्बर 232/1 रकवा 1 वीघा 19 विश्वा वाके ग्राम मालोनी पंवार ाि जिसका पूर्व में खातेदार काश्तकार प्रतिवादी के पिता अंगद पुत्र भवानीपाल कौम लोधा निवासी लुधपुरा मजरा मालोनी पंवार था। मौके पर दोनो ही विवादित आराजीयात की सीमायें मेढ से मेढ लगी हुई ळै। और मौके पर दोनो ही ख.न. अलग–अलग स्थिति में रहे और वादी के पिता कुंवरसिह एंव बाबा स्वर्गीय रामस्वरूप तथा प्रतिवादीगण के कि पिता स्व0 अंगद अपीन अपनी आराजी को अलग अलग काविज होकर काश्त करते रहे है। महकमा बन्दौवस्त ने वादी के बाबा स्व0 रामस्वरूप की खातेदारी के आराजी ख.न. साविक 231, 232/2 कुल रकवा 1 वीघा 11 विश्वा का नया नम्बर बनाते समय मिलान क्षेत्रफल में केवल ख.न. 231 के नये नम्बररान 246/1 रकवा 1 वीघा 1 विश्वा तथा 246/2 रकवा 1 विश्वा कायम किये ओर उक्त नम्रान की वादी के बाबा रामस्वरूप पुत्र भोला के नाम खतोनी बन्दोवस्त जारी कर दी, जबकि वादी के बाबा रामस्वरूप की खातेदारी के पुराने ख0न0 232/2 रकवा 5 विश्वा को उनके खाते में नही दिया और उकत ख.न.232/2 रकवा 5 विश्वा को कम करके अलग करके गैरकानूनी रूप से बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता अंगद से मिलकरउसकी खातेदारी के ख.न. 232/1 रकवा 1 वीघा 19 विश्वा में मिलाकर कुल रकवा 2 वीघा 4 विश्वा का रकवा बनाकर मिलान क्षेत्रफल में नया नम्बर 245 रकवा 1 वीघा 16 विश्वा का बनाकर अंगद पुत्र भवानीपाल कौम लोधा के नाम खतोनी बन्दौवस्त जारी कर दी। अर्थात महकमा बन्दौवस्त ने साविक दोनो ही ख.न.232/1 रकवा 1 वीघा 19 विश्वा एंव 232/2 रकवा 5 विश्वा के रकवा 2 वीघा 4 विश्वा दर्शाते हुये नया ख.न. 245 रकवा 1 वीघा 16 विश्वा का कायम कर दिया बनदोवस्त को यह अवैद्यानिक व गैरकानूनी कार्य करने का अधिकार नही था जो काबिल दुरूस्ती है। महकमा बन्दोवस्त को बादी के बाबा स्व0 रामसवरूप के खाते के ख.न. 232/2 के रकवा 5 विश्वा वाके ग्राम मालोनी पंवार को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता अंगद के खाते के साविक ख.न. 232/1 रकवा 1 वीघा 19 विश्वा मे मिलाकर कुल रकवा 2 वीघा 4 विश्वाका नया नम्बर 245 बनाते हुये उसका रकवा बढा कर 1वीघा 16 विश्वा कायम करने का अधिकार नही था। बनदोवस्त की गैरकानूनी कार्यवाही काबिल दुरूस्ती है कि साविक ख.न. 232/1 रकवा 1 वीघा 19 विश्वा का खातेदार अंगद था तो उसके साविक ख.न. 232 का रकवा मिलान क्षेत्रफल में बढाकर 2 वीघा 4 विश्वा केसे कर दिया। बन्दोवस्त का यह कार्य उसके क्षेत्राधिकार में नही था कि वादी के बाबा रामस्वरूप की खातेदारी के 5

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

विश्वा रकवा को कम करके अंगद की खातेदारी में 5 विश्वा रकवा बढा देवे। इस प्रकार बनदोवस्त की कार्यवाही खिलाफ कानूनी व रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण काबिल दुरूस्ती के है। और वादी अपने बाबा की खातेदारी के खसरा नम्बर 232/2 रकवा 5 विश्वा के रकवा को जो वास्तव में वर्तमान खसरा नम्बर 246/1 की ही रकवा मौके पर है की अपनी खातेदारी में अंकित कराने और अपने की खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही आये तथा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। हमने अभिभाषक एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया। सभी दस्तावैजी एंव मौखिक रूपी साक्ष्यो से हम सहमत है तथा दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 246/1 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा एंव खसरा नम्बर 246/2 रकवा 1 विश्वा स्थित वाके ग्राम लुधपुरा मजरा मालोनी पंवार को दुरूस्त व सही किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पावन्द किया जाता है कि वादी की आराजी में किसी प्रकार को काई भी हस्तक्षेप नही करें और ना ही दखलंन्दाजी करें। तथा उसी के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैफऊ